सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 02, बुधवार, *शाके 1946*- जनवरी 22, 2025 *Magha 02, Wednesday, Saka 1946- January 22, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 16, 2025

जी.एस.आर.99 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सीईटी का स्कोर परिणाम की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसा व्यक्ति जो नियम 6 के उपबंधों के अनुसार पात्र है, सीईटी के परिणाम की तारीख से केवल 3 वर्ष के लिए पात्र रहेगा।"

3. नियम 5 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5 प्रयासों की संख्या.- सीईटी में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा।"

4. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 9 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

9.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा	1. छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) ग्रेड-II 2. छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II

"

[सं. एफ.7(3)डीओपी/ए-2/2021]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 16, 2025

G.S.R.99 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test)(Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 4.- In sub-rule (1) of rule 4 of the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "The score of CET shall be valid for one year from the date of result." the expression "The eligibility of a person as per provision of rule 6 shall remain valid for three years from the date of result of CET." shall be substituted.

3. Substitution of rule 5.- The existing rule 5 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**5. Number of attempts.-**There shall be no restrictions with regard to number of attempts to appear in the CET."

4. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules, after the existing serial number 8 and entries thereto, the following new serial number 9 and entries thereto shall be added, namely:-

"

9.	Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service	1. Hostel Superintendent (Male) Gr-II 2. Hostel Superintendent (Female) Gr-II

"

[No. F. 7(3)DOP/A-II/2021]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.